प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 25 फरवरी, 2019

विषयः- के0जी0एम0यू0 के खदरा एवं आई0डी0एच0 परिसर मे ट्रांजिट नर्सेज हास्टल के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-10906/योजना अनु0/2019, दिनांक 30-01-2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- के0जी0एम0यू0 मे ट्रांजिट नर्सेज हास्टल के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत रू0 8622.42 लाख (छियासी करोड बाईस लाख, बयालीस हजार मात्र) के सापेक्ष् निम्नलिखित शासनादेशों के माध्यम से अब तक कुल रू0 5874.00 (रू0 अठावन करोड चौहत्तर लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है-

क्र0	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	अवमुक्त धनराशि (रू0 लाख में)
1	4667/71-2-2013-के0जी0एम0यू0-17/2013 दिनांक 25 नवम्बर, 2013 (अनु0सं0-31)	2000.00
2	29/2017/706/71-2-17-के0जी0एम0यू0-17/2013 दिनांक 23-3-2017 (अनु0सं0-31)	1449.00
3	31/2018/863/71-2-18-के0जी0एम0यू0-17/2013 दिनांक 05 मार्च, 2018 (अनु0सं0-31)	1462.00
4	32/2018/896/71-2-18-के0जी0एम0यू0-17/2013 दिनांक 05 मार्च, 2018 (अनु0सं0-83)	263.00
5	51/2018/1060/71-2-18-के0जी0एम0यू0-17/2013 दिनांक 16 मार्च, 2018 (अनु0सं0-31)	428.39
6	संख्या-52/2018/1059/71-2-18-केजीएमयू-17/2013, दिनांक 16 मार्च, 2018 (अनु0सं0-83)	271.61
	योग-	**5874.00**

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में ट्रांजिट नर्सेज हास्टल के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-31 से रू0 820.00 लाख तथा अनुदान संख्या-83 से रू0-180.00 लाख अर्थात कुल रू0 1000.00 लाख (रूपया दस करोड मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः-

1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा अवमुक्त धनराशि को बैक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखा जायेगा।
2) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
3) अनुदान संख्या-83 के अंतर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों एवं समाज कल्याण विभाग के सुसंगत शासनादेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।
4) प्रायोजना हेतु निर्गत उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कुलपति, के0जी0एम0यू0 की होगी।
6) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च 2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों तथा भवन निर्माण सम्बन्धी वित्तीय नियमों/परिनियमों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।
7) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8) प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/सक्षम प्राधिकारी के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- ट्रांजिट नर्सेज हास्टल के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 820.00 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के पूंजी लेखा लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश-24-वृहत निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

6- ट्रांजिट नर्सेज हास्टल के निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि रू0 180.00 लाख चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-31-के0जी0एम0यू0, लखनऊ-24-वृहत् निर्माण कार्य'' के नामे डाला जायेगा।

7- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च, 2018 एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26/ब0प्र0-2015 दिनांक 27 मार्च, 2015 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 14/2019/270(1)/71-2-19-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3) महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4) वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0, लखनऊ।
5) वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/समाज कल्याण विभाग (बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ)।
6) प्रबन्ध निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।